न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्र0क0 124 / अ–2 / 2013–2014

काउंसिल फार हेल्थकेयर एंड डायनोस्टिक साईसेंस
भोपाल सचिव मीनाक्षी सोती पत्नी संजीव सोती
निवासी बी–302 सागर केम्पस चूनाभट्टी कोलार रोड भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

आदेश
(पारित दिनांक 07/04/2014)
(मध्यप्रदेश भू0रा0संहिता 1959 की धारा 59 व 172 के अन्तर्गत निर्धारण)

आवेदक काउंसिल फार हेल्थकेयर एंड डायनोस्टिक साईसेंस भोपाल सचिव मीनाक्षी सोती पत्नी संजीव सोती निवासी बी–302 सागर केम्पस चूनाभट्टी कोलार रोड भोपाल द्वारा अपने स्वत्व की ग्राम ग्राम समसपुरा स्थित भूमि खसरा कमांक 71/क/2 रकवा 0.607 हेक्टेयर भूमि का व्यपवर्तन कराने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

2– आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये है।
2.1 खसरे की प्रतिया ।
2.2 भू–अधिकार ऋण पुस्तिका की छायाप्रति
2.3 शपथ पत्र
2.4 विकय पत्र की छाया प्रति
2.5 कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा स्वीकृत अनुमोदित अभिन्यास पत्र की छायाप्रति

3– उक्त छायाप्रतियों का अ0भू0अ0(डायवर्सन) एवं रा0नि0 ने मूल दस्तावेजों से मिलान किया गया । उपरोक्त दस्तावेजों तथा रा0नि0 द्वारा प्रस्तुत स्वत्व स्थल जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

अ– प्रश्नाधीन भूमि चालू वर्ष के राजस्व अभिलेखों में आवेदक के स्वत्व में होना पाया गया है।

ब– कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास कमांक 577/एल.पी–3/डायवर्सन–/जिका/नग्रनि/2014 भोपाल दिनांक 26.03.2014 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा प्रदान की गई ,जिसका अ0भू0अ0(डायवर्सन) एवं राजस्व निरीक्षक(डायवर्सन) द्वारा मिलान किया गया है।

स– अधीक्षक भू–अभिलेख (डायवर्सन) द्वारा अपने प्रतिवेदन मे प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

कार्यालय तहसीलदार तह. हुजूर भोपाल
क्रमांक 1753
सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
प्रतिलिपिकार
तहसील हुजूर भोपाल

4— अतः अधीक्षक भू- अभिलेख डायवर्सन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जो इस आदेश का अंश भाग माना जावेगा के आधार पर म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 172(1) एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आवेदक संस्था के स्वत्व की समसपुरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 71/क/2 रकवा 0.607 हेक्टेयर भूमि पर व्यवसायिक दर से पुनः निर्धारण रूपये 19170/—वर्ष 13—14 से एवं पंचायत उपकर 9585/—वर्ष 13—14 से प्रतिवर्ष एवं प्रीमियम राशि 92152/रूपये एक मुश्त अधिरोपित किया जाता है तथा निम्नलिखित शर्तो के साथ व्यपवर्तन स्वीकृत किया जाता है।

4.1 कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास क्रमांक 577/एल.पी—3/डायवर्सन—/जिका/नग्रनि/2014 भोपाल दिनांक 26.03.2014 में उल्लेखित शर्तो का अक्षरशय पालन करना अनिवार्य होता तथा अनुमोदित अभिन्यास से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य नही किया जावेगा।

4.2 प्रश्नाधीन भूमि का विकास कार्य करने के पूर्व संबंधित सभी विभागों से आवश्यक अनुमतियॉ लेनी होगी । कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा दी गई अनुज्ञा के अनुसार मार्ग /खुली भूमि/वृक्षारोपण /निम्न घनत्व आदि के लिये स्थल पर रिक्त भूमि छोड़नी होगी। अनुमोदित अभिन्यास के साथ उल्लेखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

4.3 रेन वाटर हारवेस्टिंग लगाना अनिवार्य होगा।

4.4 स्थल पर विकास /निर्माण करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य ,लोक न्यूसेंस, व इसके आसपास स्थित बस्तियों के रहवासियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

4.5 प्रश्नाधीन भूमि पर भू—अर्जन की स्थिति में कृषि दर से मुआवजा लेना होगा।

4.6 निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण करना होगा।

4.7 पुनः निर्धारण राशि आवेदक द्वारा समय से प्रतिवर्ष 31 मार्च से पूर्व कोषालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

4.8 प्रीमियम राशि एक मुश्त कोषालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

4.9 यदि प्रश्नाधीन भूमि से लगी शासकीय भूमि है तो आवेदक उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।

4.10 यदि भविष्य में आवेदक कालोनी /व्यवसायिक परिसर विकसित करता है तो सक्षम प्राधिकारी से कालोनी लाइसेंस ,नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कालोनी विकास अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा अन्य सभी आवश्यक स्वीकृतिया प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लघंन पाये जाने पर भू—अर्जन होने या किसी प्रकार के स्वत्व विवाद की स्थिति में व्यपवर्तन संबंधी आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा। संबंधित पटवारी तदनुसार राजस्व अभिलेख में मांग कायम करें।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

प्रतिलिपिः—

1. कलेक्टर महोदय जिला भोपाल की पत्र क्रमांक 2055/जि.प./2010 भोपाल 28.10.2010 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ जिला पंजीयक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार/नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु सूचनार्थ।
4. अधीक्षक भू—अभिलेख जिला कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. राजस्व निरीक्षक/पटवारी राजस्व अभिलेख में अमल करने हेतु सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

कार्यालय तहसीलदार वृत्त हुजूर भोपाल
क्रमांक 1733
सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
प्रतिलिपिकार
तहसील हुजूर भोपाल

FINANCIAL RULE 860
फायनेन्शियल रूल 860

XX (a)-A-100
Rev. H. & M.(C. P.) (Bill)

CHALAN OF MONEY PAID INTO THE..................TREASURY

खजाने में अदा की गई रकम का चालान

(To be presented at the Treasury, single or in duplicate or triplicate as the case may be)
(खजाने में इसकी एक या दो, या तीन नकल जैसा कि कानून में लिखा हो पेश होनी चाहिये)

By whom brought कौन लाया	(Under Rs. (in words) कितनी रकम के नीचे (शब्दों में)	On what account किस बाबत	Amount मुबलिग Rs.रु.	P. पै.
		VII--LAND REVENUE 7--जमा सरकारी		
		Fluctuating. घटती-बढ़ती.--		
		1. Revenue of lapsed or resumed *Muafi or Udhari* grants collected previously to being brought on the roll ऐसी आमदनी जो खारिजशुदा व जब्तशुदा माफी तथा उधारी ग्रांटों की रकमों को रजिस्टर में दर्ज करने के पेश्तर वसूल करने से हुई		
		2. Income from *Malik-Makbuza* escheats, where settlement has not been made with the *Malguzar* and where the demand has not been brought on the roll. ऐसी मालिक मकबूजा लावारिश जमीनों से आमदनी जहां कि मालगुजार के साथ फैसला न हुआ हो और जहां मांग रजिस्टर में न लाई गई हो.	19170=00	
		3. Receipts from outright sale of *Malik-Makbuza* escheats and *Milkiyat-Sarkari* plots ऐसी आमदनी जो मालिक मकबूजा लावारिश जमीनों तथा मिल्कियत सरकारी जमीनों के बेचने से हुई हो		
		4. Sale proceeds of waste lands and redemption of land tax ऐसी आमदनी जो बंजर जमीन को बेचने तथा जमीन कर छोड़ने से हुई हो	9585=00	
		5. Rents, etc. of fisheries. मछली पकड़ने के घाटों के महसूल इत्यादि की आमदनी	92152=00	
		6. Recoveries of Service payments. अमले की अदायगी के बाबत वसूलियों से प्राप्त आमदनी		
		7. Receipts from extra municipal *Nazul* tanks, premises, etc. द्रीगर म्युनिसिपल नजूल तालाबों की जगहों से प्राप्त आमदनी		
		Miscellaneous. मुतफर्रिक.--		
		1. Receipts from mines and quarries not situated in Government forests ऐसी खानों तथा खदानों से प्राप्त आमदनी जो सरकारी जंगलों में नहीं है		
		2. Mutation fee. दाखिलखारिज फीस से आमदनी		
		3. Revenue record from receipts. मुहाफिजखाना माल की आमदनी		
		4. Fines and forfetures of revenue courts माल कचहरियों से प्राप्त आमदनी जब्ती तथा जुर्माना के कारण हुई		
		5. Others, e. g. दीगर आमदनी याने.--		
		(a) Rents of railways class 'C' and of land relinquished by railways, or roadside cultivation, etc. रेल्वे क्लास 'सी' से आमदनी तथा उन जमीनों से आमदनी जो रेल्वे ने छोड़ दी है तथा सड़क के बाजू की खेती आदि से आमदनी		
STATE 0029-Land Revenue Fixed Collection Rs. 120907=00			120907=00	

GRPG- 9 -Forms- 5-4-2000- 5 0,000

W.B.H.
Tah. Huzur

भारतीय स्टेट बैंक
विशेषीकृत सरकारी व्यवसाय शाखा, भोपाल
11 APR 2014
अन्तरण/नगद भुगतान/जमा
PF Index No. 3349462

Rs 120907

2150 5825
90